संख्या-20/2023/3758/तीस-3-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2022स0सु0/2022-08स0सु0/2021, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 17.70 लाख में ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के कंसल्टेंसी चार्ज हेतु आई कैट को प्रथम किश्त के रूप में अग्रिम भुगतान एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु सम्मिलित धनराशि रू0 7.08 लाख (कर सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 3.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 17.70 लाख में ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के कंसल्टेंसी चार्ज हेतु आई कैट को प्रथम किश्त के अग्रिम भुगतान एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु सम्मिलित धनराशि रू0 7.08 लाख (कर सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 3.54 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका होगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 3.54 लाख (रुपये तीन लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-369-x-2022-23-दिनांक: 15-03-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2023/3758(1)/तीस-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2023/3758/तीस-3-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2022स0सु0/2022-08स0सु0/2021, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 17.70 लाख में ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के कंसल्टेंसी चार्ज हेतु आई कैट को प्रथम किश्त के रूप में अग्रिम भुगतान एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु सम्मिलित धनराशि रू0 7.08 लाख (कर सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 3.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 17.70 लाख में ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के कंसल्टेंसी चार्ज हेतु आई कैट को प्रथम किश्त के अग्रिम भुगतान एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु सम्मिलित धनराशि रू0 7.08 लाख (कर सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 3.54 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका होगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 3.54 लाख (रुपये तीन लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-369-x-2022-23-दिनांक: 15-03-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2023/3758(1)/तीस-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2023/3758/तीस-3-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2022स0सु0/2022-08स0सु0/2021, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 17.70 लाख में ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के कंसल्टेंसी चार्ज हेतु आई कैट को प्रथम किश्त के रूप में अग्रिम भुगतान एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु सम्मिलित धनराशि रू0 7.08 लाख (कर सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 3.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 17.70 लाख में ड्राइविंग ट्रेनिंग व टेस्टिंग इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के कंसल्टेंसी चार्ज हेतु आई कैट को प्रथम किश्त के अग्रिम भुगतान एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु सम्मिलित धनराशि रू0 7.08 लाख (कर सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 3.54 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका होगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 3.54 लाख (रुपये तीन लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-369-x-2022-23-दिनांक: 15-03-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2023/3758(1)/तीस-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।